कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय ओड़गी

जिला-सूरजपुर (छ०ग०)

www.govtcollegeodgi.ac.in Email:- principalgdcodgi@gmail.com

क्रमांक 26 /स्था./ 2024

ओड़गी,दिनांक 15 / 07/ 2024

परिशिष्ट 1

संशोधित विज्ञापन

:: अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन ::

शासकीय नवीन महाविद्यालय ओड़गी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) के सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदो के विरूद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 26.07.2024 को सायं 5.0C बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

नोट :– विस्तृत विज्ञापन महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं महाविद्यालय की वेबसाईट **http://govtcollegeodgi.ac.in/** में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय ओड़गी

जिला-सूरजपुर (छ०ग०)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय ओड़गी

जिला-सूरजपुर (छ०ग०)

www.govtcollegeodgi.ac.in Email:- principalgdcodgi@gmail.com

क्रमांक 26 /स्था./ 2024 ओड़गी,दिनांक 15 / 07 / 2024

:: अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप ::

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज. स्था./2024 नवा रायपुर दिनांक 06.07.2024 छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3–54/स्था./2020/ 38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20.06.2024 एवं पत्र क्रमांक 77/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12.07.2024 के अनुसार शासकीय नवीन महाविद्यालय ओड़गी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में विषय – रसायन, हिन्दी, अंग्रेजी एवं इतिहास में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 26.07.2024 को सायं 5.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अतिथि व्याख्याता/ शिक्षण सहायक/ग्रंथपाल सहायक क्रीड़ाधिकारी सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए।
2. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथपाल सहायक/क्रीडा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या		
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक
1	इतिहास	–	–	01
2	रसायन शास्त्र	–	–	01
3	हिन्दी	–	–	01
4	अंग्रेजी	–	–	01

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

1. आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल., पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 26.07.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया जावेगा। वर्तमान मे आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया मे आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 30.07.2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 31.07.2024 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 01.08.2024 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जावेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नही है। एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय मे शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त नही की गई है।
8. आवेदन उपरान्त संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि सीमा मे कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नही होता है तो उस दशा में अगले चरणों में साम्मिलित नही किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अन्तर्गत देय मानेदय निम्नानुसार होगा :–
11.

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षक सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30000/. प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			

3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(स) 60 दैनिक मानदेय			
5	विवरण दैनिक मानेदय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य दिवस)	1600/- प्रतिदिन (40000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- प्रतिदिन (30000/- प्रतिमाह अधिकतम)

12. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय ओड़गी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
13. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नही माना जावेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत लोक सेवक नही कहलायेंगे।
14. संस्थान में इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
15. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियों, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगें।
17. कंडिका 16 में दर्शित विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त कार्यो के लिए प्रति कार्य दिवस 01 कालखंड मानकर माह में अधिकतम 20 कालखंडों का भुगतान किया जायेगा।
18. अतिरिक्त कार्यो के लिये अतिथि व्याख्याता को प्रति कार्य दिवस 400/– रू. एवं 01 माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों के लिए 8000/– रू. देय होगा किन्तु किसी भी स्थिति में अध्यापन कालखंड हेतु मानदेय एवं अतिरिक्त कार्यो हेतु मानेदय को मिलाकर रू. 50000/– से अधिक का मासिक भुगतान नही किया जायेगा अर्थात मासिक भुगतान की अधिकतम सीमा 50000/– रू. होगी। अतिथि शिक्षण सहायक को प्रति कार्य दिवस 300/– रू. एवं 01 माह में अधिकतम 20 कार्य दिवसों के लिए 6000/– रू. देय होगा।
19. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं समाप्त की जा सकेगी वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे।

प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय ओड़गी